संख्या- 202 /2020/1149(2)/41-2020-99(बजट)/2018

प्रेषक,

शिव पाल सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 11 सितम्बर 2020**

विषय:- जनपद सम्भल के रायसत्ती निकट वेलासत्ती के थान स्थित भुवनेश्वर महादेव मंदिर के पर्यटन विकास के कार्य की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक- 5251/6-1-1(11)/मा0मु0मं0घो0/रा0यो0/2019 दि0-02 जनवरी 2020 एवं पत्र सं0-7175/6-1-1(15)/2019-20, दिनांक 20 मार्च 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- **जनपद सम्भल के रायसत्ती निकट वेलासत्ती के थान स्थित भुवनेश्वर महादेव मंदिर के पर्यटन विकास के कार्य हेतु** चयनित कार्यदायी संस्था **उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ** द्वारा गठित आगणन के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-97/2019/757/41-2019-99(बजट)/2018 दिनॉक 09 मार्च, 2019 द्वारा रू0 83.19 लाख (रू0. तिरासी लाख उन्नीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0 16.64 लाख (रू0- सोलह लाख चौसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी । तत्क्रम में महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0 के पत्रांक- 5251/6-1-1(11)/मा0मु0मं0घो0/रा0यो0/2019 दि0-02 जनवरी 2020 द्वारा प्रायोजना हेतु पूर्व में स्वीकृत कार्यों में परिवर्तन किये जाने के दृष्टिगत रू0-83.19 लाख का संशोधित आगणन गठित कर उपलब्ध कराया गया एवं उक्त संशोधित आगणन में निम्नांकित तालिका में अंकित संशोधित कार्यों के अनुसार संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है :-

क्रमांक	**पूर्व स्वीकृत आगणन के स्वीकृत कार्य**	**संशोधित आगणन के आधार पर कार्य**
1	यात्रीशेड का निर्माण (**8 ×12मी0** टीन शेड)	**यात्रीशेड का निर्माण (8 ×12मी0 आर0सी0सी0छत)**¬
2	पुरूष शौचालय का निर्माण (**4+4)**डब्लू0सी0 एवं बाथ	पुरूष शौचालय का निर्माण (4+4)डब्लू0सी0 एवं बाथ
3	महिला शौचालय का निर्माण (**4+4)**डब्लू0सी0 एवं बाथ	महिला शौचालय का निर्माण (4+4)डब्लू0सी0 एवं बाथ
4	कोटा स्टोन फर्श-**262..00** वर्ग मी0	**कोटा स्टोन फर्श -352.00 वर्ग मी0**
5	कवर्ड ड्रेन का निर्माण-**52.00** मी0	**कवर्ड ड्रेन का निर्माण-75.00 मी0**
6	सी0सी0 रोड का निर्माण -**82.00** वर्ग मी0	**सी0सी0 रोड का निर्माण -100.00 वर्ग मी0**
7	साइनेज बोर्ड -**02** नं0	साइनेज बोर्ड -02 नं0
8	सबमर्सिबिल पम्प एवं बोरिंग-**01** नं0	सबमर्सिबिल पम्प एवं बोरिंग-01 नं0
9	सोलर लाइट-**3के0वी0ए0**	सोलर लाइट-**3के0वी0ए0**
10	----------	**बाउण्ड्रीवाल का निर्माण -40.00 मी0**
11	----------	**मंदिर की रंगाई पुताई -100.00 वर्ग मी0**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी बरेली/मुरादाबाद मण्डल के पत्रांक- 269/मा0मु0घो0/2018**-19** दि0-20 मार्च 2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत संशोधित आगणन के संदर्भ में वित्तीय स्वीकृति नहीं निर्गत् की जानी है अपितु संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति मात्र अपेक्षित है।

4- उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रायोजना हेतु उपलब्ध कराये गये संशोधित आगणन रू0 83.19 लाख का विभागीय अप्रेजल समिति से मूल्यांकन कराने के उपरान्त **आंकलित लागत रू0-82.97 लाख +** जी0एस0टी0 के क्रम में **प्रायोजना हेतु रू0-82.97 लाख** (**रू0 बयासी लाख सत्तानवे हजार मात्र**) + **जी0एस0टी0 (वास्तविक भुगतान के आधार पर देय) की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-97/2019/757/41-2019-99(बजट)/2018 दिनॉक 09 मार्च, 2019 द्वारा अवमुक्त की गई **प्रथम किश्त की धनराशि रू0 16.64 लाख (रू0- सोलह लाख चौसठ हजार मात्र)** का उपयोग इस संशोधित शासनादेश में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

(2) प्रायोजना हेतु प्रथम किश्त के रूप में पूर्व में अवमुक्त की गई धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-149/दस-2020-231/2019, दिनांक 24 मार्च, 2020,शासनादेश सं0-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 7-4-2020 , शासनादेश सं0-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11-4-2020 एवं शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18-5-2020 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्जेज नही दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(3) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र सक्षम स्तर से महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबरसेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा ।

(4) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) पूर्व में स्वीकृत की गई धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24 मार्च 2020 के प्रस्तर-2(9)(ड) में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का 80 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी। इसका अनुपालन महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(6) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(7) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (**VII**) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(9) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(10) पूर्व में प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गई धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रायोजना में संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) महानिदेशक पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-7-885 /दस-2020 दिनांक 08 सितम्बर 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

<u>संख्या- 202/2020/1149(2/41-2020-99(बजट)/2018 तद्दिनॉक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव,पर्यटन विभाग,उ0प्र0शासन।
4- जिलाधिकारी, सम्भल।
5- मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
6- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0राज्य निर्माण् सहकारी संघ, लखनऊ।
9- अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0राज्य निर्माण् सहकारी संघ, प्रखण्ड- मुरादाबाद।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
11- उप निदेशक, पर्यटन बरेली।
12- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
13- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in